न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्रीमती वीणा प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./128/21/अजमेर (2021/128)

विभागीय अपील द्वारा श्री नरेश जैन तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ हाल ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर क.अ./भू.अ./वि.जां./21/80 दिनांक 12.03.2021 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री नरेश जैन तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ हाल ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 26-10-2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 25.10.2018 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

Scanned with CamScanner

आरोप संख्या– 1

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे है। आप स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के दोषी है। आपका यह कृत्य अपने राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 2

आप भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान मुख्यालय पर आवास नहीं करते है। मुख्यालय पर आवास नहीं करने एवं मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण दोषी है। आपका यह कृत्य अपने राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 3

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान जमाबन्दी सैग्रीगेशन एंव कैण्ड्रस्टल मैंप का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया। आपका यह कृत्य अपने राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 4

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान तहसील में आयोजित मिटिंग में अनुपस्थित रहें। अनुपस्थित रहने के कारण राज़कार्य सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की हैं। आपका यह कृत्य अपने राजकार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 5

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान तहसील कार्यालय द्वारा जारी किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी मे आता है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 6

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प बोराडा में ड्यूटी आदेश होने के बावजूद अनुपस्थित रहे। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के कारण आपका उक्त कृत्य दण्डनीय है।

Scanned with CamScanner

आरोप संख्या– 7

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निरस्तारण समय पर नहीं किया गया। इससे परिवादीगण को अनावश्यक पीड़ा हुई। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी के लिए आप का उक्त कृत्य दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 8

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान भू–अभिलेख शाखा में लेखा कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु आप द्वारा कार्य नहीं किया गया, जिससे कार्मिकों के वेतन बिल समय पर तैयार नहीं किये जा सके। आप द्वारा आदेशों की अवहेलना की है जो दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 9

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान समय–समय पर कार्यालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना की गई है। आप का उक्त कृत्य दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 10

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 141 के तहत संधारित अभिलेख की पूर्ति कर पालना नहीं की गई है। आप का उक्त कृत्य दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 11

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान राज्य काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज प्रकरण बरदा पुत्र कल्याण कौम नायक खसरा नं0 251 व 254 के तहत पारित आदेश की पालना नहीं की गई। आपने न्यायालय आदेश की अवहेलना की है। आप का उक्त कृत्य दण्डनीय है।

आरोप संख्या– 12

आप भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुरा के पद पर रहने के दौरान कार्यालय द्वारा जारी राजकीय मोबाईल नं0 9530311482 पर सम्पर्क करने पर बन्द पाया जाता है। आप का उक्त कृत्य दण्डनीय है।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी को ज्ञापन दिनांक 25.10.2018 मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र दिनांक 10.12.2018 को तामील करवाये गये व 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 12.02.2019 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ को जांच अधिकारी एवं अभियोजन पक्ष के लिये तहसीलदार सरवाड को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया गया। जांच अधिकरी एवं उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ ने जांच कार्य पूर्ण कर पत्रांक 329 दिनांक 3.02.2020 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सभी 12 आरोपों को साबित होना बताया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 03.03.2021 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलान्ट की सुनवाई कर दण्डादेश दिनांक 12.03.2021 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपनी अपील में वर्णित कथनों को ही कमोबेश दोहराते हुये निवदेन किया गया कि अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश केवल मात्र जांच अधिकारी का रेकार्ड एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का बिना अवलोकन किये ही जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्वाग्रह की मानसिकता रखते मनमानी पूर्ण व एकतरफा जांच के आधार पर ही दण्डित किया गया है जो बिना साक्ष्य सबूत के होने व कयास के आधार पर होने से निरस्तनीय है। अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर ने अपने सजा अधिरोपित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर ही दण्डादेश पारित किया गया है। प्रत्येक आरोप के बारे में अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित आदेश में नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त व अवैद्य है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि भू–राजस्व (भू.अभिलेख) नियम 1957 के नियम 179 में भू.अभिलेख निरीक्षक की दैनिक डायरी संधारित करने के बारे में प्रावधान है। फार्म नं0 1.1 में भू.अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक दिन उसके द्वारा किये गये कार्यो का लेखा–जोखा रखेगा तथा प्रत्यके माह की 5 तारीख तक इसकी परफोरेटेड प्रतिलिपि तहसीलदार कों जांच

Scanned with CamScanner

हेतु भेजेगा तथा तहसीलदार फार्म 1.1 को 10 तारीख तक उपखण्ड अधिकारी को उसकी टिप्पणी के लिए भेजेगा तथा उपखण्ड अधिकारी इसको वापस तहसीलदार को 20 तारीख तक लौटायेगा। अपीलार्थी को आरोप सं0 1 के आरोप विवरण में दिनांक 09.09.2017 से 10.09.2017, 23.12.2017 से 31.12.2017, 19.02.2018, 06.04.2018, 13.06.2018, 03.07.2018 से 07.07.2018, 11.07.2018 एवं 18.07.2018 को बिना सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना दिये तथा बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहना व्यक्त किया गया है जो ज्ञापन दिनांक 25.10.2018 की पूर्व की तिथियां है ओर जब डायरी को सक्षम अधिकारियो को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गई है तो बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहना अपीलार्थी को येन केन प्रकरेण दण्डित किया जाना ही उद्देश्य है। **आरोप संख्या–1** के जवाब में अपीलार्थी ने अपनी दैनिक डायरी (दिनचर्या बही) प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.09.2017 व 10.09.2017 शनिवार एवं रविवार हैं दिनांक 23.12.2017 य 24.12.2017 शनिवार एवं रविवार, 25.12 2017 आम तातील क्रिशमश डें, तथा 26.12.2017 से 29.12.2017तक प्रार्थी आकस्मिक अवकाश पर रहा तथा 30.12.2017 व 3112.2017 को शनिवार तथा रवियार है, दिनांक 19.02.2018 की चुनाव शाखा किशनगढ़, दिनांक 06.04.2018 को मिर्टिंग में उपस्थित रहा, दिनांक 13.06.2018 को मुख्यालय पर रहकर कार्य किया तथा दिनांक 03.07.2018 से 06.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश पर रहा। दिनांक 07.07.2018 को शनिवार था, दिनांक 11.07.2018 को ए.सी.जे.एम कार्ट किशनगढ़ में उपस्थित रहा तथा दिनांक 18.07.2018 को रामगढ में सीमांकन कार्य किया। तहसीलदार ने प्रत्येक कार्यों को मासिक सारांश में प्रमाणित कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया है, इसलिये अनुपस्थिति का आरोप निराधार है। **आरोप सं0 2** अपीलार्थी सदैव मुख्यालय पर निवास कर ही राजकार्य सम्पादित करता है। इसके प्रमाण में सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा पंचायत समिति अराई का दिनांक 07.02.2019 का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुल किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लगाया गया है, प्रार्थी द्वारा राजकार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, इस कारण अपीलार्थी पर अधिरोपित यह आरोप निराधार है। **आरोप सं0 3** जमाबन्दी सैग्रीगेशन एंव कैण्ड्रस्टल मैंप का कार्य बाकी नहीं था तथा तहसील कार्यालव के पत्रांक भू.अ./18/3152–58 दिनांक 11.06.2018 जो कार्य पूरा नहीं रखने वाले भूअभिलेख निरीक्षक को जारी किया गया है उसमें अपीलार्थी के हल्के का कोई उल्लेख नहीं होने पर भी दर्भावनापूर्ण व्यवहार व झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को आरोप सं0 3 में दण्डित किया गया है। **आरोप सं0 4** में अपीलार्थी को तहसील में आयोजित मिटिंग में अनुपस्थित रहने के कारण राजकार्य

Scanned with CamScanner

सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के लिये आरोपित किया गया है जबकि दिनांक 07.122017 को ग्राम दांतरी में राजस्व कार्य व 20.12.2017 को ग्राम लक्ष्मीपुरा में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य, दिनांक 12.02.2018 को तहसील मिटिंग तथा केकड़ी में क्रोप कटिंग मिटिंग, दिनांक 19.02.2018 को चुनाव शाखा किशनगढ़ में उपस्थिति, दिनांक 28,022018 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 17.03.2018 को शनिवार, दिनांक 23.04.2018 को तहसील में मिटिंग व 24.05.2018 को मिटिंग दिनांक 13.06.2018 को मुख्यालय पर कार्य दिनांक 18.06.2018 को मिटिंग व रिसिवरी कार्य व 11.07. 2018 को एसीजेएम कोर्ट किशनगढ़ मे उपस्थित होकर राजकार्य को अंजाम दिया गया। इन सभी कार्यो का प्रमाणीकरण तहसीलदार ने मासिक सारांश में कर उच्चाधिकारियो को प्रस्तुत किया है। राजकार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। लगाये गये आरोप निराधार है। **आरोप सं0 5** में नोटिस दिनांक 09.01. 2017, 07.11.2017, 22.11.2017, 09.04.2018, 11.06.2018, 16.04.2018, 15.06. 2018, 03.07.2018, 26.04.2018 एवं 25.07.2018 तहसील कार्यालय द्वारा जारी किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देने हेतु विचरिंत किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2018 प्रस्तुत कर उक्त नोटिस की तामीली प्रति चाही गई थी, परन्तु तहसील कार्यालय सरवाड़ द्वारा दस्तावेजों में उक्त तामिलि प्रति मुझे नहीं दी गई जिससे यह जानकारी हो गयीं कि उक्त नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुये है, जिससे जवाब दिया जाना संभव नहीं हो सकता। अतः आरोप गलत है। **आरोप सं0 6** में दिनांक 30.06.2018 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बोराडा में आयोजित न्याय आपके द्वारा अभियान में अनुपस्थित रहने का वर्णन हैं, इस बारे में अपीलार्थी ने उक्त दिनांक को अभियान में उपस्थित रहकी कार्य को अंजाम दिया था जिसकी पुष्टि प्रार्थी की दैनिक डायरी से भली–भांति होती है। **आरोप सं0 7** में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निस्तारण समय पर नहीं किया गया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 093180783354569 में अनावश्यक विलम्ब किया व वस्तुस्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की गई। उक्त प्रकरण आशीष मोदी का मुण्डोती बांध परियोजना में अवाप्त भूमि के नामान्तकरण के बारे में है, जिसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.04.2018 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

अपचारी कार्मिक ने यह भी कथन किया कि **आरोप सं0 8** के संबंध में राज़स्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड) रूल्स के नियम 212 मे वेतन बिल प्रत्येक माह तैयार करने का दायित्य ऑफिस कानूनगो का है। तहसील में श्री रमेशचन्द

Scanned with CamScanner

सोनी ऑफिस कानूनगो पदस्थापित थे. एवं उनकी सहायता के लिए और नरेश सिंह पटवारी लगे हुये थे। लेखा शाखा में कार्य करने का आदेश द्वेषता से ग्रसित होकर एवं जानबूझकर तंग व परेशान करने के लिये निकाला गया है। **आरोप सं0 9** के आरोप विवरण पत्र अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 11.02.2018 को स्वेच्छा से अनुपस्थित रहना बताया गया है जबकि उक्त दिन रविवार था तथा दिनांक 02.01.2018 को उपखण्ड अधिकारी केकड़ी की चुनाव शाखा में कार्य किया जो वहां के जारी उपस्थित प्रमाण पत्र से व दैनिक डायरी से परिपुष्ट होता है। तहसील कार्यालय सरवाड़ के आदेश कमांक 59, दिनांक 16.03.2018 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई थी तथा सर्तकता में दर्ज प्रकरणों की रिपोर्ट तुरन्त करा दी थी तथा किसी प्रकार की गलत रिपोर्ट नहीं की। अपीलार्थी के विरूद्ध जो दण्डादेश पारित किया गया वह गलत तथ्यों पर आधारित है। **आरोप सं0 10** में भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 141 के तहत संधारित रजिस्टर की पूर्ति नहीं करना व्यक्त किया है जबकि रजिस्टर डीडस ऑफ ट्रांसफर का रजिस्टर मासिक मिटिंग में सम्बन्धित पटवारी तथा अपीलार्थी द्वारा तैयार कर इस नियम की पूर्ण पालना की गई है। **आरोप सं0 11** के आरोप विवरण पत्र में अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, की धारा 183 बी के तहत पारित न्यायालय निर्णय की पालना नहीं करने, बरदा पुत्र कल्याण कौम नायक के खसरा नम्बर 251 व 254 में पारित निर्णय की पालना नहीं करने के लिये न्यायालय निर्णय की अवमानना, उदासीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता का जिक्र किया गया है ज़बकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 14.06.2018 को निर्णय प्राप्त होते ही पालना कर रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 को भिजवा दी थी। **आरोप संख्या 12** के आरोप विवरण पत्र में उल्लेख है कि कार्यालय द्वारा जारी मोबाईल नम्बर 9330311482 अधिकतर समय बंद रहता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि वस्तुथिति यह है कि प्रार्थी का यह मोबाईल नम्बर सदैव चालू रहता है एवं बातचीत होती रहती है इसमें किसी न्यायालय निर्णय की अवमानना का प्रश्न नहीं है तथा राजकार्य के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता नहीं है। इस आधार पर आरोप, आरोप विवरण पत्र पर आधारित दण्डादेश श्रीमान के स्तर से विलोपित किये जाने योग्य है।

अपचारी कार्मिक ने यह भी कथन किया कि उनके विरूद्ध सम्पूर्ण जांच कार्यवाही व्यक्तिगत द्वेषता से प्रेरित है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस उपखण्ड अधिकारी द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी. उसी उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है जो निष्पक्षता के विपरीत है। विधि का यह

Scanned with CamScanner

सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए परन्तु होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस आधार पर अपीलार्थी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को निष्पक्ष जांच कराने हेतु अन्य जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत किया था, जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 27.05.2020 को यह कह कर खारिज कर दिया कि "कार्मिक द्वारा जांच अधिकारी बदलने हेतु, दिया गया प्रार्थना पत्र जांच अधिकारी की नियुक्त के एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण में विलम्ब करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना दृष्टिगत होता है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 16 (4) के तहत नियुक्त उपखण्ड अधिकारी सरबाड़ (जांच अधिकारी) को बदलने का कोई औचित्य नहीं है।'' अनुशासनिक अधिकारी का यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि जांच अधिकारी, जांच कार्यवाही के दौरान भी बदला जा सकता है।(ए.आई.आर 1970 सुप्रीम कोर्ट 1095) आरोपो के बारे में जानकारी रखने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता तथा वह कर्मचारी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता हो। इन तथ्यों को नज़रअंदज कर ज़ो जाच कार्यवाही की गई है वह अवैद्य एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। अपीलार्थी का शासकीय जीवन सदैव धवल (Unblemshed) रहा है एवं इस दण्डादेश के फलस्वरूप प्रार्थी को भविष्य में मिलने वाली पदोन्नतियों से अकारण वंचित होना पडेगा अथवा पदोन्नतियों में अकारण देरी होगी, जिससे अपीलार्थी को जीवन पर्यन्त निरन्तर आर्थिक हानि होगी।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे सीसीए नियम, 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था जिसके तहत वृहद दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है जबकि अपचारी कर्मचारी को लघु शास्ति के तहत दण्डित किया गया है जिसके लिये उसे पृथक से सीसीए नियम, 17 के तहत नोटिय दिया जाना चाहिये था। अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत किशनसिंह बनाम राज्य एआईआर 1966 (राजस्थान) पेज 55 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह व्यवस्था दी गई है कि नियम, 16 मे जांच करने के बाद अचानक नियम, 17 की प्रक्रिया के अन्तर्गत साधारण दण्ड नहीं दिया जा सकता। दोषी कर्मचारी को फिर से नोटिस देना होगा कि क्यो नहीं उसे साधारण दण्ड से दण्डित किया जावे और इस प्रकार दिये गये नोटिस पर उसके अभ्यावदेन, यदि कोई हो, तो उस पर विचार कर दी आज्ञा पारित की जा सकेगी।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा बिना कोई बड़ा वाकेयात अथवा बिना किसी हक

Scanned with CamScanner

अधिकारो में क्षति नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी को इस तरह का कठोर दण्ड दिया जाना सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलार्थी के द्वारा बिना किसी प्रकार की बदनियति के राजकार्य किया जाता रहा है। कभी भी कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं की गई है पूर्ण सतर्कता बरतते हुए कार्य किया जाता रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 12.03.2021 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 5152 दिनांक 30.06.2021 से अवगत कराया है कि प्रकरण में तहसीलदार सरवाड़ ने पत्र दिनांक 30.07.2018 से कार्मिक श्री नरेश जैन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र तैयार कर संबंधित साक्ष्य/अभिलेख की छायाप्रतियों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये गये। पत्र के साथ प्राथमिक जांच एवं प्रारूप अ,ब,स,द नहीं भिजवाये जाने पर कार्यालय के पत्र दिनांक 06.08.2018 से लिखा गया। तहसीलदार सरवाड़ ने पत्र दिनांक 27.09.2018 के द्वारा प्राथमिक जांच एवं प्रारूप अ,ब,स,द भिजवाते हुये अपनी जांच रिपोर्ट में कार्मिक श्री नरेश कुमार जैन को दोषी माना। कार्यालय के ज्ञापन क्रमाक 9113 दिनांक 25.10.2013 के द्वारा आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी करते हुए प्रतिउत्तर 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आंरोपित कार्मिक को उक्त ज्ञापन दिनांक 12.12.2018 को तामील हुआ।

कार्मिक ने अपना प्रतिउत्तर दिनांक 13.02.2019 को प्रस्तुत करते हुए उस पर स्थापित आरोप सही नहीं होना अवगत कराते हुए आरोप अस्वीकार किया गया। कार्मिक द्वारा आरोप अस्वीकार किये जाने पर आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा सीसीए नियम 16(4) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को जांच अधिकारी एवं सीसीए नियम 16 (5) के अन्तर्गत तहसीलदार सरवाड़ को पैरोकार सरकार नियुक्त करते हुए मूल पत्रावली जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ को प्रेषित की गई।

उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा अपनी जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.02.2020 से जिला कलक्टर अजमेर के कांर्यालय को भिजवाया गया। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कार्मिक पर स्थापित समस्त 12 आरोपों को अपनी जांच में सिद्ध होना पाया गया। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त कार्मिक को दोषी पाये जाने पर दो वार्षिक वेतन

Scanned with CamScanner

वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अपचारी कार्मिक को नियमानुसार दण्डित किया गया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा अपील मीमो एवं व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ की जांच के आधार को ही अपने आदेश में अंकित किया जाकर अपीलार्थी को (Judicial Mind) न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना ही दोषसिद्धी माना जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है जो कतई सही नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी को मामले की जांच कर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर सही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशासनिक प्राधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा इस तथ्य की भी अनदेखी की गई है कि जिस उपखण्ड अधिकारी द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी. उसी उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है जो निष्पक्षता से परे नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए परन्तु होता हुआ दिखना भी चाहिए। अपीलार्थी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को निष्पक्ष जांच कराने हेतु अन्य जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 27.05.2020 को यह कह कर खारिज कर दिया गया कि "कार्मिक द्वारा जांच अधिकारी बदलने हेतु, दिया गया प्रार्थना पत्र जांच अधिकारी की नियुक्त के एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण में विलम्ब करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना दृष्टिगत होता है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 16(4) के तहत नियुक्त उपखण्ड अधिकारी सरबाड़ (जांच अधिकारी) को बदलने का कोई औचित्य नहीं है।" अनुशासनिक अधिकारी का यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि जांच अधिकारी, जांच कार्यवाही के दौरान भी बदला जा सकता है।(ए.आई.आर 1970 सुप्रीम कोर्ट 1095) के अनुसार आरोपो के बारे में जानकारी रखने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता तथा वही अधिकारी

Scanned with CamScanner

जांच अधिकारी हो सकता है जो कर्मचारी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता हो। इन तथ्यों को नज़रअंदज कर जो जाच कार्यवाही की गई है वह अवैद्य एवं प्रारम्भ से ही शून्य है।

अपचारी कार्मिक को सीसीए नियम, 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था जिसके तहत वृहद दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है जबकि इसके विपरीत अपचारी कर्मचारी को लघु शास्ति के तहत दण्डित किया गया है। इसके लिये अपचारी कार्मिक को पृथक से सीसीए नियम, 17 के तहत नोटिय दिया जाना चाहिये था। अपचारी कार्मिक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत किशनसिंह बनाम राज्य एआईआर 1966 (राजस्थान) पेज 55 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह व्यवस्था दी गई है कि नियम, 16 मे जांच करने के बाद अचानक नियम, 17 की प्रकिया के अन्तर्गत साधारण दण्ड नहीं दिया जा सकता। दोषी कर्मचारी को फिर से नोटिस देना होगा कि क्यो नहीं उसे साधारण दण्ड से दण्डित किया जावे और इस प्रकार दिये गये नोटिस पर उसके अभ्यावदेन, यदि कोई हो, तो उस पर विचार कर ही आज्ञा पारित की जा सकेगी। अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा बिना कोई बड़ा वाकेयात अथवा बिना किसी हक अधिकारो के व राज्य सरकार अथवा किसी अन्य पक्ष को कोई भी क्षति नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी को इस तरह का कठोर दण्ड दिया जाना सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय क.अ./भू.अ./वि.जां./21/80 दिनांक 12.03.2021 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश जो कि विधिसम्मत नही होने व प्रकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण इस आदेश को निरस्त किया जाता है।

Scanned with CamScanner